

छठी वार्षिक रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

(अप्रैल 1, 2010 से मार्च 31, 2011)

राज्य सूचना आयोग हिमाचल प्रदेश

मजीठा हाउस,
शिमला—171002

दूरभाष 0177—2620166 2620188 2629894
टैलिफैक्स 0177—2621529
ई मेल—SCIC-hp@nic.in

विषय सूची

संक्षिप्त आंकडे (i-v)

<u>अध्याय संख्या</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
	अध्याय	
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा इसके अन्तर्गत तैयार किए गए नियम	1-7
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की भूमिका तथा उत्तरदायित्व	8-14
3.	अधिनियम का कार्यान्वयन (हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आवेदनों का निपटान)	15-22
4.	अधिनियम का कार्यान्वयन (हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपीलें तथा शिकायतों का निपटान)	23-27
5.	पिछले छ: वर्षों के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन	28-34
6.	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा सूचना आयोग द्वारा उठाए गए कदम	35
7.	अभिमत एवं संस्तुतियां	36-39

(i)

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग
वार्षिक रिपोर्ट— संक्षिप्त आंकड़े
(1.04.2010 से 31.3.2011)

(क)	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या, जिन्होंने राज्य सूचना आयोग को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की	125
(ख)	1.4.2010 से 31.3.2011 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दायर किए गए आवेदनों की संख्या	55463
(ग)	सार्वजनिक प्राधिकरणों के सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	701
(घ)	जन सूचना अधिकारियों द्वारा एकत्रित शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क की कुल राशि	1432417
(ज)	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रथम अपीलों की दायर करने की संख्या	1220
(च)	वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	
	(i) की धारा 19 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों की दायर करने की संख्या	300
	(ii) दिनांक 1.4.2010 को आयोग में लम्बित अपीलें	17
	(iii) कुल अपीलें	317
(छ)	वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत द्वितीय अपीलों की संख्या	277
(ज)	(i) वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत दायर की गई शिकायतों की संख्या	503
	(ii) दिनांक 1.4.2010 को आयोग में लम्बित शिकायतें	44
	(iii) कुल शिकायतें	547
(झ)	वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत शिकायतों की संख्या	526
(झ)	(i) मामलों की संख्या जिनमें आयोग ने जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया	3
	(ii) मामलों की संख्या जिनमें आयोग द्वारा अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता को मुआवजा दिलवाया गया	33

(ii)

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2010–11 के दौरान समेकित मामलों
का विवरण


	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2010 को लम्बित	17	44	61
वर्ष के दौरान दायर	300	503	803
कुल	317	547	864
निर्णित	277	526	803
31.3.2011 को लम्बित	40	21	61
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2010 को लम्बित	10	21	31
वर्ष के दौरान दायर	145	331	476
कुल	*155	352	507
निर्णित	151	347	498
31.3.2011 को लम्बित	4	5	9
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2010 को लम्बित	7	23	30
वर्ष के दौरान दायर	154	172	326
कुल	161	195	356
निर्णित	125	179	304
31.3.2011 को लम्बित	36	16	52

* एक अपील पूर्ण न्यायपीठ द्वारा निर्णित


(iv)

राज्य सूचना आयोग में प्राप्त, निर्णित तथा लम्बित अपीलों का व्यौरा
(1.4.2010 से 31.3.2011 तक)


विभिन्न जिलों से प्राप्त अपीलें



निर्णित तथा लम्बित अपीलों का व्यौरा




निर्णित अपीलों का व्यौरा




(iv)

राज्य सूचना आयोग में प्राप्त, निर्णित तथा लम्बित शिकायतों का व्यौरा
(1.4.2010 से 31.3.2011 तक)


विभिन्न जिलों से प्राप्त शिकायतें



निर्णित तथा लम्बित शिकायतों का व्यौरा




निर्णित शिकायतों का व्यौरा




(v)

राज्य सूचना आयोग में प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों का व्यौरा
(1.4.2010 से 31.3.2011 तक)


तीन मण्डलों तथा राज्य के बाहर से प्राप्त आवेदनों की संख्या




शिमला मण्डल के चार जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या



मण्डी मण्डल के पांच जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या



कांगड़ा मण्डल के तीन जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या



अध्याय –1

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा इसके अन्तर्गत तैयार किए गए नियम

भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 15 जून 2005 को अधिसूचित किया गया । यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ लेकिन इस अधिनियम के कुछ प्रावधान तुरन्त लागू हो गए थे । इन उपबन्धों के अन्तर्गत सूचना आयोगों का गठन करना, जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों को बनाया जाना था । इस अधिनियम का एक व्यापक कार्यक्षेत्र है और इसमें सभी निकाय शामिल हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समस्त विभाग एवं उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा गठित, शासित, स्थापित, नियन्त्रित अथवा वित्तपोषित अन्य निकाय जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। सभी भारतीय नागरिक इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक तथा विस्तृत सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसमें केवल बहुत कम ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें न देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।

2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्न है :—

- (i) कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से बिना कोई कारण बताए कोई भी सूचना मांग सकता है ।
- (ii) श्री राज नारायण का निर्णित मामला तथा न्यायधीशों की न्युक्तियों के मामले से अभिज्ञात हुआ है कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) (अ) के अन्तर्गत मौलिक अधिकार में आता है।
- (iii) मांगी गई सूचना जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करनी होगी ।
- (iv) अधिनियम सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सरकार द्वारा स्थापित, गठित, नियन्त्रित अथवा वित्तपोषित निकायों पर, लागू होता है जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं।

- (v) जन सूचना अधिकारी आवेदकों को सूचना प्रदान करते अथवा आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए सकारण पत्र व्यवहार करेंगे। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारियों को भी सकारण एवं स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किए जाने अपेक्षित होंगे।
- (vi) सूचना उपलब्ध करवाने के लिए समय ही निष्कर्ष है।
- (vii) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा चूक के मामले में दण्ड के द्वारा उत्तरदायित्व निश्चित होता है।
- 3 अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों को निम्न कर्तव्य और दायित्व विदित करता है:—
- (i) अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुरूप सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उनके कार्यों सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर स्वेच्छा से सूचना का प्रकटीकरण करना होगा जिसे हर वर्ष अद्यतन किया जाना अपेक्षित होगा।
 - (ii) सभी सरकारी विभाग/संस्थान सूचना देने के प्रयोजन से अपेक्षित संख्या में जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगे तथा उपमण्डल स्तर पर आवेदन प्राप्त करने तथा उन्हें जन सूचना अधिकारियों को अग्रेषित करने हेतु सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगे।
 - (iii) सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध की गई प्रथम अपीलों पर विचार करने एवं निर्णय देने हेतु अपीलीय अधिकारी नामित करने होंगे।
- 4 अधिनियम में ‘सूचना’, ‘अभिलेखों’ और ‘सूचना का अधिकार’ की परिभाषाएँ निम्न हैं :—

- (i) “सूचना” से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, जिस का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।
- (ii) “अभिलेखों” में निम्नलिखित सम्मिलित है —

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल :

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति:

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे बर्धित रूप में हो यह न हो) : और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री:

(iii) “सूचना का अधिकार” से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियन्त्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है :

(i) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण :

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना :

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना :

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में यह प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है अभिप्राप्त करना।

5 सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक प्राधिकारी की परिभाषा निम्न है :

“लोक प्राधिकारी” से :-

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन :

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(ग) राज्य विधान—मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है : और इसके अन्तर्गत –

- (i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन, या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है :
- (ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 22 के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।
7. यह अधिनियम, धारा 8 और 9 के अन्तर्गत जिन सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट प्रदान करता है, उनका संक्षिप्त रूप निम्न प्रकार हैः—

- सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्धीपन होता हो ;
- सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है ;
- सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकार के भंग का कारण होगा ;
- सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पद सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी तीसरी पार्टी की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;
- किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;
- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;
- सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा ;

- सूचना, जिससे अपराधों के अन्वेषण, अपराधियों के पकड़े जाने या अभियोजन की किया में अड़चन पड़ेगी ;
 - मन्त्रिमण्डल के कागजपत्र, जिसमें मन्त्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है ;
 - सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका प्रकटन किसी लोक कियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण करता है ।
- 8 इस अधिनियम की धारा 27 और 28 के उपबन्धों के प्रभावशाली तथा सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने के लिए विनियोजित सरकारों तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी को शक्तियां प्रदत्त हैं। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006, राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किए गए। ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो गए हैं। परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश विधानसभा तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को अधिसूचित किया गया है। हिमाचल विधानसभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क व लागत) नियम, 2006, 15 जून 2006 को तथा हिमाचल प्रदेश उच्चन्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 2005, 30 नवम्बर, 2005 को अधिसूचित किए गए। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006, राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किए गए।
- 9 इन नियमों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है :—
- (i) कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना अथवा रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहता है को निर्धारित शुल्क की अदायगी के प्रमाण सहित सम्बन्धित प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।
 - (ii) गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) श्रेणी के आवेदकों से सूचना प्राप्त करने अथवा किसी अभिलेख के निरीक्षण के लिए किसी भी शुल्क की अदायगी अपेक्षित नहीं है।
 - (iii) प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित सूचना लेने के लिए अलग – अलग आवेदन पत्र दायर किया जाना अपेक्षित है।

- (iv) आवेदक को जारी की गई सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक का नाम दर्शाते हुए तथा जन सूचना अधिकारी की मोहर, हस्ताक्षर तथा तिथि सहित, विधिवत् प्रमाणिकृत किया जाएगा ।
- (v) दस्तावेजों को प्रदान करने एवं उनके निरीक्षण के हेतु लिए जानेवाले शुल्क की दर नीचे दी गई है :—

क्रम संख्या	सूचना का विवरण	मूल्य/शुल्क रूपयों में
1	आवेदन के साथ शुल्क	10/-रु0 प्रति आवेदन
2	जहाँ सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो	प्रकाशित मूल्य पर
3	समूल्य प्रकाशनों के अलावा	2/-रु0 प्रति पृष्ठ (ए-4 आकार अथवा कम के लिए) बड़े आकार के पृष्ठ के मामले में, वास्तविक लागत अथवा प्रति पृष्ठ 20/- रु0 जो भी अधिक हो ।
4	जहाँ सूचना इलैक्ट्रनिक के रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रनिक रूप यथा फ्लॉपी, सीडी आदि के रूप में प्रदान की जानी हो	50/-रु0 प्रति फ्लॉपी 100/-रु0 प्रति सीडी
5	रिकार्ड/दस्तावेज के निरीक्षण हेतु	20/- रु0 प्रति 30 मिनट या उसके अंश के लिए

- (vi) निर्धारित शुल्क की अदायगी डिमांड ड्राफ्ट या इण्डियन पोस्टल आर्डर द्वारा सम्बन्धित सरकारी प्रधिकरण को की जा सकती है अथवा 0070— ओ०ए०ए०,६० —ओ०ए०स, 800— ओ० आर० 11—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्तियां लेखा शीर्ष में सरकारी खजाने में जमा करवाया जा सकता है ।

10 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के तहत नामित अपीलीय अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील दायर करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है । इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ता का नाम व पता, उस जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा रही हो तथा आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की जा रही हो, दिया जाना होगा । अपीलकर्ता को अपील की दो प्रतियां दायर करनी होगी । अपील ज्ञापन में अपील के सम्बन्ध में संक्षेप में तथ्य दिए जाने होंगे । आवेदन का जवाब न मिलने की स्थिति में आवेदन का विवरण, संख्या व तिथि, राज्य जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन दिया गया था का

उल्लेख अपीलकर्ता द्वारा किया जाना होगा । अपीलकर्ता अपनी याचना अथवा राहत का उल्लेख तथा याचना व राहत के आधार भी अपील ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख करेगा ।

11 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के तहत नामित अपीलीय अधिकारी या हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को यह भी शक्ति होगी कि यदि सुनवाई की तिथि पर अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं होता है तो वे गुण दोष के आधार पर अपील पर एक तरफा निर्णय भी दे सकते हैं । अपीलकर्ता किसी ऐसे आधार पर न तो कोई आपत्ति उठाएगा और न ही उसकी आपत्ति सुनी जाएगी, जिसका उल्लेख उस द्वारा अपील अधिकारी/आयोग को प्रस्तुत अपील ज्ञापन में न किया गया हो । तथापि नामित अपील अधिकारी/ आयोग को अपील पर निर्णय लेते समय उन्हीं आधारों तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं जिनका उल्लेख अपील में किया गया हो ।

12 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के तहत राज्य सूचना आयोग को अपनी दिन—प्रतिदिन की कार्यवाही के सम्बन्ध में विनियम बनाने की शक्तियां भी प्रदत्त हैं। परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियम, 2008 बनाए गए हैं जो 1 सितम्बर, 2008 से लागू हो गए थे ।

अध्याय—2

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 4 फरवरी, 2006 की अधिसूचना द्वारा किया गया। आयोग ने शिमला स्थित मुख्यालय में 1 मार्च 2006 को श्री पी० एस० राणा के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण करने के पश्चात् कार्य करना आरम्भ किया। सचिवालय प्रशासन ने 1 मार्च 2006 से आयोग को सचिवीय स्टाफ और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। आयोग ने एक सदस्यीय निकाय के रूप में 1 जुलाई, 2007 तक कार्य किया और तदपश्चात् श्री एस.एस. परमार ने 2 जुलाई, 2007 को राज्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया। श्री पी० एस० राणा 28.02.2011 को सेवानिवृत्त हुए तथा उनकी सेवानिवृत्त होने के पश्चात् श्री भीम सेन जी ने 25.03.2011. को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान हिमाचल सरकार द्वारा आयोग के कार्यालय हेतु मजीठा हाउस, शिमला —2 की धरातल मंजिल उपलब्ध करवाई गई।

2 आयोग को वित्त वर्ष 2010–11 में मु0 1,01,07,000/- का बजट शीर्ष 2070—00—118—01—SOON(NP) के अन्तर्गत खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया। स्वीकृत बजट का विवरण निम्न प्रकार से है :—

लेखा शीर्ष	उपशीर्ष	बजट	व्यय
01	वेतन	7858000	7858186
03	यात्रा व्यय	60000	60154
05	कार्यालय व्यय	964000	963620
06	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	121000	120849
07	किराया, दर एवं उपकर	240000	239873
10	आतिथ्य/सत्कार	31000	30975
12	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	51000	51200
20	अन्य प्रभार	222000	221982

30	मोटर वाहन	560000	559484
	कुल	10107000	10106323

3 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 32 पद सृजित किए गए। इन पदों का विवरण इस प्रकार हैः—

क्रमांक	पदनाम	पद का वेतनमान 1-1-2006 से सशोधित	सृजित पदों की संख्या
1	मुख्य सूचना आयुक्त	90,000/-	1
2	राज्य सूचना आयुक्त	80,000/-	1
3	सचिव (एच०ए०एस० / आई०ए०एस०)	अपने वेतनमान में	1
4	सिस्टम एनालिस्ट	10300-34800 + रु० 5400	1
5	रीडर कम एहलमद	10300-34800 + रु० 5000	2
6	अनुभाग अधिकारी	10300-34800 + रु० 5000	1
7	वरिष्ठ सहायक	10300-34800 + रु० 3800	2
8	लिपिक कम कम्प्यूटर आपरेटर	5910-20200 + रु० 1900	4
9	निजी सचिव	10300-34800 + रु० 5000	2
10	निजी सहायक	10300-34800 + रु० 4200	4
11	कनिष्ठ वेतनमान स्टेनोग्राफर	5910-20200 + रु० 2800	1
12	चालक	5910-20200 + रु० 2000	3
13	प्रौसेस सर्वर	4900-10680 + रु० 1400	1
14	चौकीदार	4900-10680 + रु० 1300	1
15	सेवादार	4900-10680 + रु० 1300	5
16	फाश कम माली	4900-10680 + रु० 1300	1
17	सफाई कर्मचारी	4900-10680 + रु० 1300	1
	कुल		32

4. राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य निम्न प्रकार हैः—

I. अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत जांच

- (i) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करें—

क जो, यथास्थिति, किसी लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है या उसके आवेदन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है।

ख जिसे इस अधिनियम के अधीन जानकारी देने से इन्कार कर दिया गया है,

ग जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्देष्ट समय— सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है,

घ जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है,

ङ जो यह विश्वास करता है कि उसे अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है, और

च इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने के लिए संबंधित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

(ii) राज्य सूचना आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थातः—

क व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना,

ख दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना,

ग शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना,

घ किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगाना,

ङ साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, और

(iii) आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जाँच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिस पर यह अधिनियम लागू होता है

और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

II. अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत अपीलें:

- (i) प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्य के विरुद्ध दूसरी अपील नब्बे दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को होगी, परन्तु राज्य लोक सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।
- (ii) यदि विनिश्य, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तीसरी पार्टी की सूचना से संबंधित है तो राज्य सूचना आयोग उस तीसरी पार्टी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- (iii) अपील सम्बन्धी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इन्कार किया था, होगा।
- (iv) राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।
- (v) राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में यह भी शक्तियां प्रदान की गई है कि वह सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपने निर्णयों की अनुपालना करवाए। शिकायतकर्ता / अपीलकर्ता का मुआवजा दिलवाने की शक्ति का भी प्रावधान है।

III. अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शक्ति :

- (i) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इन्कार किया है या सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त

किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

- (ii) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी सूचना देने में बाधा डाली है वहाँ वह ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

5 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियन्त्रण में उपलब्ध सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों की जांच तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों तथा नियमों के दृष्टिगत उनका गुण दोष के आधार पर निर्णय करता है। आयोग द्वारा अपीलीय अधिकारियों के विरुद्ध दायर की गई द्वितीय अपीलों का निपटान भी करता है। ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण जो अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें सदृश पग उठाने के लिए निर्दिष्ट करने हेतु संस्तुतियां देने का अधिकार भी अधिनियम की धारा 19 (8) में आयोग को दिया गया है।

6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत आयोग को शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त या तो जांच के आदेश अथवा उचित कार्रवाई करने जो भी उचित समझे, के आदेश दे सकते हैं। सरकारी अधिकारी अथवा जन सूचना अधिकारी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो, से टिप्पणी मांग सकते हैं तथा जन सूचना अधिकारी और शिकायतकर्ता को अवसर प्रदान कर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित निर्णय दे सकते हैं। आयोग अधिनियम की धारा-19 के अन्तर्गत अपीलें प्राप्त करता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, जन सूचना अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त कर तथा अपील में उठाए गए मुद्दों पर सुनवाई कर अपीलों का निपटान करते हैं। आयोग द्वारा किसी अपील पर अन्तिम निर्णय लेने

से पूर्व आवेदक को सामान्यतः सुनवाई के लिए अपना मामला प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जाता है। यद्यपि आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों के निपटान हेतु अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी आयोग ऐसे मामलों का निपटान तेजी से कर रहा है। आयोग का यही प्रयास रहता है कि ऐसे मामलों का निपटान आयोग में प्राप्ति तिथि के अधिकतम एक मास की अवधि में कर दिया जाए।

7 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	पदनाम	शक्तियां एवं कार्य
1	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयोग के कार्यों/गतिविधियों की सामान्य देख-रेख, निर्देशन एवं प्रबन्धन/अपीलों और शिकायतों का निपटान।
2	राज्य सूचना आयुक्त	अपीलों तथा शिकायतों का संज्ञान तथा उनका निपटान
3	सचिव एवं पंजीयक	आयोग का प्रशासनिक प्रबन्धन, वित्तीय नियन्त्रण तथा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त की कार्य निपटान में सहायता करना।
4	निजी सचिव राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त / राज्य सूचना आयुक्त	सचिवालिय सहायता तथा मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्यों का निपटान।
5	रीडर कम एहलमद	आयोग में प्राप्त अपीलों और शिकायतों को प्रक्रिया में लाना तथा मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्य करना।
6	अनुभाग अधिकारी एवं सहायक पंजीयक	आयोग के प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य कार्यों के निपटान में सचिव एवं पंजीयक की सहायता करना।
7	अधीनस्थ कर्मचारी	आयोग के अधिकारियों की सहायता करना तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रदत्त कार्य करना।

8 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्रदेश सूचना आयोग को अधिकृत किया गया है कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन पर प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट तैयार करे तथा राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए सरकार

को अग्रेषित करें। इस उपबन्ध का अनुसरण करते हुए वर्ष 2010–11 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की छठी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा तैयार की गई है। राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन के आंकड़े रिपोर्ट के आरम्भ में दिये गए हैं।

अध्याय—3

अधिनियम का कार्यान्वयन (हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आवेदनों का निपटान)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6, 7 व 11 के उपबन्धों के अनुसार सरकारी प्राधिकरणों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे इस उद्देश्य के लिए नामित जन सूचना अधिकारी के माध्यम से जन साधारण को उनके द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवायें। आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 125 सार्वजनिक प्राधिकरणों को 55,463 आवेदन इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्त हुए थे। इस वर्ष 55,463 आवेदनों के प्रतिकुल पिछले 43,835 आवेदन 134 सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए थे। अतः पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010–11 के दौरान आर.टी.आई. आवेदनों की संख्या में लगभग 26% वृद्धि हुई है। पर्याप्त वृद्धि से यह प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के बारे में राज्य के जन साधारण व्यक्ति की जानकारी में वृद्धि हुई है। आवेदनों की संख्या में और वृद्धि होनी सम्भव थी अगर कुछेक सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रिपोर्ट भेजी गई होती।

2 कुल 125 सार्वजनिक प्राधिकरणों में से 14 सार्वजनिक प्राधिकरणों को 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, 12 सार्वजनिक प्राधिकरणों को (प्रत्येक को) 501 से 1000 तक आवेदन प्राप्त हुए, 34 सार्वजनिक प्राधिकरणों (प्रत्येक को) 101 से 500 आवेदन प्राप्त हुए तथा शेष 65 सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस वर्ष के दौरान (प्रत्येक को) 100 से कम आवेदन प्राप्त हुए। इस वर्ष के दौरान 14 विभागों में जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सिंचाई एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता विभाग, उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर, कागड़ा, मण्डी, शिमला, सोलन, वन विभाग और हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर में 1000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त किए गए। यह पाया गया कि 55463 आवेदनों में से 53319 आवेदन जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 96 प्रतिशत है को 60 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किया गया। शेष 65 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कुल आवेदनों का 4 प्रतिशत से भी कम


आवेदन प्राप्त किए गए थे। इसी अवधि के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों को 14,32,417 रुपये का शुल्क प्राप्त हुआ।

3 वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्त आवेदनों की विवरण सारणी निम्न है :—

वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों से प्राप्त आवेदन

(i) सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या जिन्हें 1000 से अधिक आवेदने प्राप्त हुए	14
(ii) सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 501 से 1000 तक आवेदन प्राप्त हुए	12
(iii) सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 101 से 500 तक आवेदन प्राप्त हुए	34
(iv) सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 100 से कम आवेदन प्राप्त हुए	65
सार्वजनिक प्राधिकरणों की कुल संख्या जिन्हें आवेदन प्राप्त हुए	125

विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त आवेदन



4 विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किए/रद्द किए आवेदनों/दायर अपीलों/प्राप्त शुल्क का विवरण

क्रमांक	सरकारी विभाग का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जितने मामले जन सूचना अधिकारीयों द्वारा रद्द किए गए	प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास दायर अपीलें	राज्य सूचना आयोग के पास दायर अपीलें	ऐसे मामले जहां आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति के आदेश दिए	प्राप्त राशी
1.	मुख्यमंत्री कार्यालय	142	5	1			रूपये 1895
2.	हिंप्र०उच्च न्यायालय	553	22	22	3		47996
3.	विधान सभा सचिवालय	107					1813
4.	लोकायुक्त	12	9	1	2		120
5.	निर्वाचन आयोग	190					4464
6.	राज्य सूचना आयोग	63					1491
7.	लोक सेवा आयोग	663		21	2		18068
8.	अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड	2658	15	47	3		58000
9.	हिं प्र० ई० आर०सी०	15					351
10.	मण्डलायुक्त, शिमला	60	6				2194
11.	मण्डलायुक्त, कांगड़ा	80		1	1		1300
12.	मण्डलायुक्त, मण्डी	94					1588
	हिंप्र० सचिवालय						
13.	प्रशासनिक सुधार	19					327
14.	बन	68					1669
15.	सामान्य प्रशासन विभाग	99	2		2		2437
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	144		7			1238
17.	मत्सय	2					108
18.	शहरी निकाय	29		2			406
19.	पशुपालन	39					1077
20.	सांख्यिकी एवं आर्थिक	7					244

21.	गृह	645	42	20	7		17645
22.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	66					1930
23.	कार्मिक	390	59	14			19416
24.	वित्त	159	3	2	1		3164
25.	परिवहन	18					371
26.	विधि	29			2	1	630
27.	सचिवालय प्रशासन	125	41	9			3722
28.	आबकारी एवं कराधान	12					846
29.	चुनाव	126					2105
30.	गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत	5					1172
31.	मुद्रण एवं सामग्री	2					40
32.	बागवानी	32					1498
33.	राजस्व	92		4	19		1566
34.	आवास	11					1730
35.	पर्यटन	17					566
36.	कल्याण	12					370
37.	आयुर्वेद	18			2		625
38.	जनजातीय विभाग	8					390
39.	उद्योग	43	5				1184
40.	नगर एवं ग्रामीण नियोजन	14					231
	प्रशासनिक विभाग						
41.	कृषि	97					3551
42.	पशुपालन	210		2			5366
43.	आयुर्वेद	451	2	11			15908
44.	पुलिस	4399	128	162	18		91161
45.	सहकारिता	1052		41	8		30373
46.	प्रारम्भिक शिक्षा	3690	05	127	10	1	47369
47.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	23			1		260

48.	आबकारी एवं कराधान	500	5	14	1		7583
49.	मत्सय	34					655
50.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	343		3			6591
51.	वन संरक्षण	1457	63	16	11		81573
52.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	286			22	1	6544
53.	बागवानी	298		3	1		4964
54.	उद्योग	384		4	2		17088
55.	विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी	06					506
56.	सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य	1867	89	26	9		92383
57.	ऊर्जा	38	2	1	17		1210
58.	सम्पदा	47					904
59.	स्वास्थ्य सुरक्षा	60					915
60.	सांख्यिकी एवं आर्थिक	38	3	3			1319
61.	श्रम एवं रोजगार	352	2	8	1		5645
62.	अभियोजन	23			1	1	377
63.	भू समेकन	71					1327
64.	भू अभिलेख	60					6871
65.	मुद्रण एवं सामग्री	46					1295
66.	सूचना एवं जन संपर्क	81		2	1		3726
67.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	6767	37	138	23	3	183998
68.	भू व्यवस्था (शिमला)	363		7	1		22787
69.	भू व्यवस्था (कांगड़ा)	362		9	2		9073
70.	विद्युत निरीक्षणालय	11					121
71.	कल्याण	116			2		5869
72.	पर्यटन एवं नागरिक उड़डयन	188		2			4918
73.	लोक निर्माण	5128		162	15		124330

74.	भाषा एवं संस्कृति	49					893
75.	जनजातीय विकास	14					264
76.	नगर एवं ग्रामीण नियोजन	308		4	1		11296
77.	परिवहन	602		9			20010
78.	शहरी विकास	48			5	1	563
79.	उच्च शिक्षा	2061		24	20		26951
80.	योजना	66		1			1430
	जिलाधीश						
81.	बिलासपुर	782					12221
82.	चम्बा	595					9159
83.	हमीरपुर	1060		8	1		19606
84.	कांगड़ा	1160		8	9		17440
85.	किन्नौर	309	25				14927
86.	कुल्लू	399			1		4765
87.	मण्डी	1953		43	7		36263
88.	शिमला	1524			11		23426
89.	सिरमौर	552		10	1		4110
90.	सोलन	1072			2		14056
91.	ऊना	697		18	3		11905
92.	लाहौल एवं सिपिति	2					158
	सहकारिता / निगम						
93.	वित्त निगम	132	14	11	6	1	4104
94.	वन निगम	459		19			11005
95.	सामान्य उद्योग निगम	39	7	2			1396
96.	एच०पी०एम०सी०	34					763
97.	राज्य उद्योग विकास निगम	5					273
98.	एग्रो पैकेजिंग	1					10
99.	एग्रो इंडस्ट्रीज	35	16		2		1860

100.	कांगडा सेंटल को० बैंक	155	10	18			2265
101.	जोगिन्द्रा बैंक	24	4				324
102.	हिमाचल प्रदेश बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण	1					10
103.	हिमाचल प्रदेश मत्स्य विपणन सहकारी सभा, बिलासपुर	1					
104.	भूतपूर्व सैनिक	34					362
105.	पर्यटन विकास निगम	140		7			6791
106.	नागरिक आपूर्ति निगम	252		3	1		3745
107.	पथ परिवहन निगम	926		31	5	1	44147
108.	नगर निगम शिमला	999		34	12		43755
109.	सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ	14					86
110.	हिमउर्जा	70					6050
111.	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम	7					195
112.	लघु उद्योग एवं निर्यात निगम	63	25	1	1		
113.	राज्य उद्योग विकास निगम	9				1	332
114.	अल्प संख्यक एवं कल्याण निगम	13					142
115.	पावर निगम	138	1	10			9247
116.	पावर ट्रांसमिसन	9					50
117.	सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी कार्यालय	401	33	13	1		5290
118.	पर्वतारोहण संस्थान एवं सम्बर्गी खेलकूद	25					736
	बोर्ड						
119.	खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड	33			1		1043
120.	शिक्षा बोर्ड	643		2			12275
121.	हिमुडा	344		4	3		25241

122.	कूल फौडरेशन	5					60
	विश्वविद्यालय						
123.	हिंप्र० विश्वविद्यालय शिमला	654		39	9	1	2968
124.	डा० यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय	423	18		3		12472
125.	कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	406	3	10	3	2	13430
	कुल	55463	701	1220	300	13	1432417

5. उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अस्वीकृत किए गए 701 मामलों के अलावा विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा सभी आवेदकों को अपेक्षित सूचना भेज दी गई है। इस प्रकार राज्य में कुल आवेदनों के 1 प्रतिशत मामले ही रिपोर्ट के अनुसार अस्वीकृत किए गए। गत वर्ष अस्वीकृत मामलों की संख्या कुल आवेदन के 1 प्रतिशत थी। इस प्रकार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अस्वीकृत आवेदनों की संख्या बहुत कम रही है।

6. सार्वजनिक प्राधिकरणों ने यह भी उल्लेख किया है कि 701 आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा की 8(1)(j) के अधीन अस्वीकृत किए गए हैं। इस अध्याय का पैरा 4 का विवरण यह दर्शाता है कि प्रथम अपीलों की संख्या कुल आवेदनों के 2.2 प्रतिशत से भी कम रही। नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास दायर कुल 1220 प्रथम अपीलों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को मात्र 300 अपीलें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान जन सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त न होने या विलम्ब से प्रत्युत्तर मिलने सम्बन्धी 503 शिकायतें भी आयोग को प्राप्त हुई। इस प्रकार वर्ष के दौरान विभिन्न जन प्राधिकारियों के पास दायर कुल 55463 सूचना का अधिकार आवेदनों के विरुद्ध कुल 803 अपीलें/शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार आयोग में कुल आवेदनों की लगभग 1.5 प्रतिशत अपीलें/शिकायतें प्राप्त हुई। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि रिपोर्टाधीन वर्ष 2010–11 के दौरान सूचना मांगने वालों के आवेदनों पर राज्य के जन सूचना अधिकारियों की कार्रवाई संतोषजनक रही है।


अध्याय—4

अधिनियम का क्रियान्वयन

(हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपीलों तथा शिकायतों का निपटान)

वर्ष 2010–11 में हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग में 11 जिलों के लोगों तथा राज्य के बाहर से विभिन्न अपीलार्थियों से 300 अपीलें जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त हुई थीं। जिसमें से 171 अपीलें 3 जिलों शिमला, मण्डी और कांगड़ा के लोगों द्वारा दायर की गई थी बाकि 129 अपीलें अन्य जिलों के लोगों तथा राज्य के बाहर के लोगों से प्राप्त की गई थी। वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त 300 अपीलों के अलावा, 17 अपीलें 01.04.2010 को लम्बित पड़ी थीं। आयोग द्वारा प्राप्त अपीलों की जिलावार स्थिति निम्न प्रकार से दर्शायी गई है :—

आयोग में प्राप्त अपीलों का जिलावार विवरण :—




2. कुल 317 अपीलों में से, वर्ष के दौरान 277 अपीलों पर निर्णय दिए गए तथा 40 अपीलें 31.03.2011 को निर्णय हेतु लम्बित रही। आयोग द्वारा निर्णित 277 अपीलों में से मात्र 48 मामले अस्वीकृत किए गए। अन्य 229 मामलों में जन सूचना अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित सूचना प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। निर्णित/लम्बित अपीलों का व्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है :—

- | | |
|--|-----|
| (i) वर्ष के दौरान प्राप्त अपीलों का व्यौरा | |
| (क) 01.04.2010 को लम्बित अपीलें | 17 |
| (ख) वर्ष के दौरान प्राप्त अपीलें | 300 |
| (ग) वर्ष के दौरान निर्णित अपीलें | 277 |

(ii)	वर्ष के दौरान निर्णित अपीलों का व्यौरा :-	
(क)	एक माह से कम अवधि में निर्णित	205
(ख)	एक माह से अधिक पर दो माह से कम अवधि में निर्णित	53
(ग)	दो माह से ऊपर की अवधि में निर्णित	19
(iii)	31.03.2011 को लम्बित अपीलों का व्यौरा :-	
(क)	एक माह से कम अवधि की लम्बित अपीलें	39
(ख)	एक माह से दो माह तक लम्बित अपीलें	0
(ग)	दो माह से ऊपर लम्बित अपीलें	1

3. वर्ष 2010–11 के दौरान 300 अपीलों के अलावा 503 शिकायतें अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में प्राप्त हुई। ये शिकायतें प्रदेश के सभी जिलों तथा प्रदेश के बाहर से प्राप्त हुई। इन में से 319 शिकायतें (63 प्रतिशत से अधिक शिकायतें) शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, मण्डी जिलों के शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई थी। आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार व्यौरा निम्न चार्ट पर दर्शाया गया है :—

आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार व्यौरा :—



4. वर्ष के दौरान प्राप्त 503 शिकायतों के अलावा 44 शिकायतें 01.04.2010 को लम्बित थीं। कुल 547 शिकायतों में से 526 शिकायतें वर्ष के दौरान निर्णित की गई तथा 21 शिकायतें 31.03.2011 को निपटान हेतु लम्बित रहीं। निर्णित 526 शिकायतों में से केवल 49 अस्वीकृत की गई। प्राप्त निर्णित तथा लम्बित पड़ी शिकायतों का अवधिवार व्यौरा निम्नलिखित है :—

प्राप्त निर्णित तथा 31-3-2011 को लम्बित शिकायतों का व्यौरा।

(i)	वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निर्णित शिकायतें	
(क)	01.04.2010 की लम्बित शिकायतें	44
(ख)	वर्ष 2010-11 में प्राप्त शिकायतें	503
(ग)	वर्ष के दौरान निर्णित शिकायतें	526
(घ)	दिनांक 31.03.2011 को लम्बित शिकायतें	21
(ii)	वर्ष के दौरान निर्णित शिकायतें :-	
(क)	एक माह से कम अवधि में निर्णित	336
(ख)	एक माह से अधिक पर 2 माह से कम अवधि में निर्णित	123
(ग)	दो माह से ऊपर की अवधि में निर्णित	67
(iii)	31.03.2011 को लम्बित शिकायतों का व्यौरा :-	
(क)	एक माह से कम अवधि तक लम्बित	17
(ख)	एक से दो माह तक की अवधि तक लम्बित	1
(ग)	दो माह से अधिक अवधि तक लम्बित	3

5. उपरोक्त पैरा 2 यह दर्शाता है कि 74 प्रतिशत अपीलों पर राज्य सूचना आयोग द्वारा एक माह में तथा 19 प्रतिशत अपीलों पर दो माह में निर्णय दिये गए थे। इस तरह से कुल अपीलों का 93 प्रतिशत दो महीनों के अन्दर निर्णय दिए गए थे। बाकी सभी अपीलों पर तीन माह में निर्णय दिये गए। इन अपीलों का विवरण हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वेब साइट पर उपलब्ध है। पैरा 4 में दिये गए तथ्य दर्शाते हैं कि 64 प्रतिशत शिकायतों पर हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा एक माह में तथा 23 प्रतिशत शिकायतों पर दो माह में निर्णय दिये गए। इस तरह से कुल शिकायतों का 87 प्रतिशत दो महीने के अन्दर निर्णय दिए गए थे। बाकी 13 प्रतिशत शिकायतों पर तीन माह में निर्णय दिये गए।

6. हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2010-11 के दौरान समेकित मामलों का विवरण

	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2010 को लम्बित	17	44	61
वर्ष के दौरान दायर	300	503	803
कुल	317	547	864
निर्णित	277	526	803
31.3.2011 को लम्बित	40	21	61


राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2010 को लम्बित	10	21	31
वर्ष के दौरान दायर	145	331	476
कुल	155	352	507
निर्णित	151	347	498
31.3.2011 को लम्बित	4	5	9
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2010 को लम्बित	7	23	30
वर्ष के दौरान दायर	154	172	326
कुल	161	195	356
निर्णित	125	179	304
31.3.2011 को लम्बित	36	16	52

8. हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने विभिन्न अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं को मु0 55,500 रुपये के मुआवजे की अदायगी करने हेतु जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस वर्ष के दौरान 3 जन सूचना अधिकारियों पर कुल मु0 18,250 रुपये जुर्माना भी किया गया।

9. उक्त अपीलों तथा शिकायतों के अलावा वर्ष 2010–11 में, आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 1118 विविध आवेदन/प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए जिन्हें सम्बन्धित जन सूचना अधिकारियों/जन प्राधिकारियों को उचित निर्देश के साथ अग्रेषित किया गया। इन आवेदनों/प्रतिवेदनों पर की जाने वाली कार्यवाही पर आयोग द्वारा अनुवर्ति कार्यवाही की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदकों को उचित उत्तर प्राप्त हों। ऐसा न होने की स्थिति में कुछेक आवेदनों/प्रतिवेदनों को आयोग को भेजी गई शिकायतों को अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत लिया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों को ब्यौरा निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है।

आयोग में प्राप्त विविध आवेदनों/प्रतिवेदनों की संख्या जिन्हें सम्बन्धित जन सूचना अधिकारियों/जन प्राधिकारियों को अग्रेषित किया गया :—

क्रमांक	जिला नाम	प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों की संख्या
1.	बिलासपुर	64
2.	चम्बा	183
3.	हमीरपुर	91
4.	कांगड़ा	179
5.	किन्नौर	18
6.	कुल्लू	63
7.	लाहौल स्पिति	1
8.	मण्डी	123
9.	शिमला	173
10.	सिरमौर	50
11.	सोलन	87
12.	ऊना	35
13.	राज्य के बाहर से	51
	Total	1118



अध्याय—5

पिछले ४ वर्षों के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी थी जैसे कि जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी को नामित करना तथा धारा 4 (1)(बी.) के अन्तर्गत प्रकटीकरण करना। जन सूचना अधिकारियों तथा सहायक जन सूचना अधिकारियों ने सूचना आयोग जिसका गठन 1.3.2006 को हुआ था से पहले ही आवेदकों का आवेदन प्राप्त करना आरम्भ कर दिया था। सार्वजनिक प्राधिकरणों में अक्टूबर 2005 से 2010-11 तक प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदन, प्रथम अपीलें तथा प्राप्त फीस का विवरण:

वर्ष	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदकों की संख्या	जन सूचना अधिकारी द्वारा रद्द किए गए आवेदन	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	प्राप्त राशि
31.03.2007 तक	110	2,654	119	127	2,34,281
2007-08	118	10,105	283	267	6,00,495
2008-09	124	17,869	259	338	8,07,939
2009-10	134	43,835	442	706	10,89,504
2010-11	125	55,463	701	1220	14,32,417

2 उपरोक्त विवरण यह दर्शाता है कि विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों में पिछले 4 सालों के दौरान प्रथम वर्ष से छठे वर्ष तक 2654 आवेदनों की अपेक्षा 55,463

आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार इन मामलों में 21 गुणा बढ़ौतरी हुई जोकि इस तथ्य को दर्शाता है कि लोगों में वर्ष प्रति वर्ष इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलें कम दायर हुई हैं और जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनों की खारिज करने की प्रतिशतता में वर्ष प्रति वर्ष कमी आई है। जन सूचना अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी इन वर्षों में सकारात्मक रही है।

3 राज्य सूचना आयोग द्वारा 1 मार्च 2006 से 31.3.2011 तक प्राप्त अपीलों का विवरण निम्नलिखित है :—

कुल प्राप्त तथा निर्णित अपीलों 1.3.2006 से 31.3.2011 तक					
अवधि	वर्ष के आरम्भ में लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल अपीलें	वर्ष के दौरान निर्णित	वर्ष के अन्त में लम्बित
1.3.2006 से 31.3.2007	-----	32	32	24	8
1.4.2007 से 31.3.2008	8	155	163	125	38
1.4.2008 से 31.3.2009	38	180	218	195	23
1.4.2009 से 31.3.2010	23	270	293	276	17
1.4.2010 से 31.3.2011	17	300	317	277	40
कुल	-----	937		897	

4 आयोग में प्राप्त 1.3.2006 से 31.3.2011 तक शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है :—

कुल प्राप्त तथा निर्णित शिकायतों 1.3.2006 से 31.3.2011 तक					
अवधि	वर्ष के आरम्भ में लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल शिकायतों	वर्ष के दौरान निर्णित	वर्ष के अन्त में लम्बित
1.3.2006 से 31.3.2007	-----	52	52	47	5
1.4.2007 से 31.3.2008	5	134	139	105	34
1.4.2008 से 31.3.2009	34	204	238	221	17
1.4.2009 से 31.3.2010	17	445	462	418	44
1.4.2010 से 31.3.2011	44	503	547	526	21
कुल	-----	1338	-----	1317	

5 आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों का 1 मार्च 2006 से 2010–11 तक का विवरण निम्नलिखित हैः—

आयोग में वर्ष बार प्राप्त तथा निर्णित अपीलों तथा शिकायतों का व्यौरा					
अवधि	वर्ष के आरम्भ में लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	वर्ष के दौरान निर्णित	वर्ष के अन्त में लम्बित
1.3.2006 से 31.3.2007	-	84	84	71	13
1.4.2007 से 31.3.2008	13	293	306	234	72
1.4.2008 से 31.3.2009	72	388	460	420	40
1.4.2009 से 31.3.2010	40	715	755	694	61
1.4.2010 से 31.3.2011	61	803	863	803	61
कुल		2283		2222	

6 उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2006–2007 में 84 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से उन 2654 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं, कि अपेक्षा में प्राप्त की गई जोकि कुल उन प्राप्त आवेदनों का लगभग 3.2 प्रतिशत है। वर्ष 2007–2008 के अन्तर्गत 293 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायकर्ताओं से, 10105 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं, कि अपेक्षा में प्राप्त की गई जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 2.8 प्रतिशत है। वर्ष 2008–2009 के अन्तर्गत 388 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से, 17869 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त हुए हैं जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 2 प्रतिशत है। वर्ष 2009–2010 के अन्तर्गत 715 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 43835 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 1.6 प्रतिशत है। रिपोर्ट के वर्ष के अन्तर्गत 803 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 55463 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त

आवेदनों का लगभग 1.4 प्रतिशत है। अतः आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों की संख्या में इन पिछले पांच वर्षों में प्रतिशतता के आधार पर 3.2 प्रतिशत से 1.4 प्रतिशत की कमी आई है। जोकि यह दर्शाता है कि जन सूचना अधिकारियों के कार्य सम्पादन में पिछले छः वर्षों में वर्ष प्रति वर्ष बदलाव आया है।

7. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा वर्षबार निर्णित मामलों का विवरण निम्नलिखित है :—

(क) 1.3.2006 से 31.3.2007 के दौरान

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.3.2006 को लम्बित	--	--	--
वर्ष के दौरान दायर	32	52	84
कुल	32	52	84
निर्णित	24	47	71
31.3.2007 को लम्बित	8	5	13

(ख) 1.4.2007 से 31.3.2008 के दौरान

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2007 को लम्बित	8	5	13
वर्ष के दौरान दायर	81	92	173
कुल	89	97	186
निर्णित	84	83	167
31.3.2008 को लम्बित	5	14	19
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2007 को लम्बित	--	--	--
वर्ष के दौरान दायर	74	42	116
कुल	74	42	116
निर्णित	41	22	63
31.3.2008 को लम्बित	33	20	53
*पूर्ण न्यायपीठ द्वारा निर्णित मामले :— 4			

(ग) 1.4.2008 से 31.3.2009 के दौरान

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2008 को लम्बित	5	14	19
वर्ष के दौरान दायर	83	131	214
कुल	88	145	233
निर्णित	80	132	212
31.3.2009 को लम्बित	8	13	21
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2008 को लम्बित	33	20	53
वर्ष के दौरान दायर	97	73	170
कुल	130	93	223
निर्णित	115	89	204
31.3.2009 को लम्बित	15	4	19
*पूर्ण न्यायपीठ द्वारा निर्णित मामले :— 4			

(घ) 1.4.2009 से 31.3.2010 के दौरान

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2009 को लम्बित	8	13	21
वर्ष के दौरान दायर	131	273	404
कुल	139	286	425
निर्णित	129	265	394
31.3.2010 को लम्बित	10	21	31
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2009 को लम्बित	15	4	19
वर्ष के दौरान दायर	139	172	311
कुल	154	176	330
निर्णित	147	153	300
31.3.2010 को लम्बित	7	23	30

1.4.2010 से 31.3.2011 के दौरान

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2010 को लम्बित	10	21	31
वर्ष के दौरान दायर	145	331	476
कुल	*155	352	507
निर्णित	151	347	498
31.3.2011 को लम्बित	4	5	9
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2010 को लम्बित	7	23	30
वर्ष के दौरान दायर	154	172	326
कुल	161	195	356
निर्णित	125	179	304
31.3.2011 को लम्बित	36	16	52

* एक अपील पूर्ण न्यायपीठ द्वारा निर्णित

8. पिछले छः वर्षों में आयोग द्वारा 2222 अपीलों और शिकायतों का निपटान किया गया। 14 सिविल रिट याचिका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग के द्वारा निर्णित मामलों के विरुद्ध में दायर की गई। दायर की गई सिविल रिट याचिकाओं का विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	मामले का शीर्षक / मामले की संख्या	स्थिति
1	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम राज्य सूचना आयोग सी0डबल्य०पी0—96 / 09	उच्च न्यायालय में लम्बित
2	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम श्री सुरेन्द्र सिंह मनकोटिया सी0डबल्य०पी0—3823 / 2009	उच्च न्यायालय में लम्बित
3	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम डा० पी०के० आदित्य सी0डबल्य०पी0—2418 / 2010	उच्च न्यायालय में लम्बित
4	जस्टिस एम० आर० वर्मा (सेवानिवृत) बनाम राज्य सूचना आयोग सी0डबल्य०पी0—2070 / 2010	उच्च न्यायालय में लम्बित
5	जस्टिस एम० आर० वर्मा (सेवानिवृत) बनाम राज्य सूचना आयोग	उच्च न्यायालय में लम्बित

	सी0डबल्यू0पी0–1964 / 2010	
6	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम श्री संजय गुप्ता, आई0ए0एस0 सी0डबल्यू0पी0–1050 / 2010	उच्च न्यायालय में लम्बित
7	सुश्री कल्पना ग्रोवर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–4632 / 2010	खारिज क्योंकि मामला वापिस लिया गया ।
8	श्री संजय मण्डयाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–5418 / 2010	उच्च न्यायालय में लम्बित
9	श्रीमती राम प्यारी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–6404 / 2010	उच्च न्यायालय में लम्बित
10	श्री राम आसरा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–7462 / 2010	उच्च न्यायालय में लम्बित
11	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम अर्चित सन्त और अन्य सी0डबल्यू0पी0–7767 / 2010	उच्च न्यायालय में लम्बित
12	श्री धर्मपाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–2446 / 2010	28.07.2010 को निर्णित
13	सचिव लोकायुक्ता बनाम हरि सिंह तथा अन्य सी0डबल्यू0पी0–533 / 2011	उच्च न्यायालय में लम्बित
14	रितविक चौहान बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–1910 / 2011	उच्च न्यायालय में लम्बित

अध्याय –6

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा सूचना आयोग द्वारा उठाए गए कदम

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा राज्य सरकार की वेबसाइट (www.himachal.nic.in) पर भी निम्न सूचना उपलब्ध करवाई है :—

- (i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग की नियमावली) (संशोधित 1–4–2009 तक)
 - (ii) राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक प्राधिकरणों के नाम
 - (iii) विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों के नाम)
 - (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियमन, 2008
 - (v) अपीलों तथा शिकायतों के निर्णय जो हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग में दायर की गई थी ।
 - (vi) अपीलों तथा शिकायतों की सूची ।
2. राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना प्राप्त करने वाले आवेदकों की सुविधा लिए उन्के निवासों के निकट जिला स्तर तथा मण्डल स्तर पर समय—समय पर अपीलों तथा शिकायतों की सूनवाई की जाती है यह कदम आवेदकों को सूचना आयोग के कार्यालय शिमला में आने के खर्चों से राहत दिलवाता है। आवेदकों की सक्रिय भागीदारी सूचना का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वयन करने में बहुत सहायक है।
3. सूचना आयोग, प्रशासनिक सुधार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला तथा जिलों के प्रशासन के तालमेल से हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों, पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, शहरी निकाय के प्रतिनिधियों, महिला मण्डल/ युवक मण्डल के प्रतिनिधियों तथा पत्रकारों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों, आवेदन करने की प्रक्रिया तथा सूचना प्रदान करने बारे कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जो कि प्रभावी व सफल सिद्ध हुई है।
4. आयोग द्वारा मण्डल स्तर पर अपीलों तथा शिकायतों को सूनने से ज्यादातर मामले तीन महीनों में ही निपटाए गए तथा केवल कुछ मामलों का निर्णय छह महीने में किया गया।

अध्याय-7

अभिमत एवं संस्तुतियां

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(1) के अधीन पिछले वर्ष सौंपी गई पांचवीं रिपोर्ट में, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सुचारू तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा कुछ संस्तुतियां की गई थीं। राज्य सरकार द्वारा इन संस्तुतियों पर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अभिमत तथा संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। कुछ संस्तुतियों जिनपर आगामी कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर अपेक्षित है, इस रिपोर्ट में अभिमत तथा संस्तुतियों के रूप में सम्मिलित की जा रही है।

2. आयोग प्रथम अपीलीय अधिकारियों तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के विभागाध्यक्षों के प्रशिक्षण हेतु संस्तुति करता है।

3. आयोग द्वारा अपनी पिछली रिपोर्ट में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ए) के उपबन्धों को कार्यान्वयन करने के लिए समयबन्ध कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए संस्तुति की गई थी कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण निम्न कार्य करेंगे –

- इसके समस्त रिकार्ड को व्यवस्थित, विधिवत रूप में इस क्रम से रखा जाए जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की प्राप्ति सरल हो तथा
- सुनिश्चित किया जाए कि समस्त रिकार्ड जो कम्प्यूटरीकरण के लिए उपयुक्त है उसे समुचित समय तथा संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार, कम्प्यूटरीकरण करवा दिया जाए ताकि नेटवर्क के माध्यम से देश की विभिन्न कम्प्यूटर पद्धतियों द्वारा ऐसे रिकार्ड को प्राप्त करने में सरलता हो।

4. आयोग द्वारा राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से वर्ष 2010–11 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया के बारे में प्राप्त हुई रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया जिसमें पाया गया कि कुल 55,463 आवेदन अधिनियम के अन्तर्गत सूचना लेने के लिए प्राप्त हुए जिनमें से मात्र 701 मामले जन सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए। इसके

अतिरिक्त नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास 1220 प्रथम अपीलें दायर हुई तथा 503 शिकायतें व 300 द्वितीय अपीलें आयोग में प्राप्त हुईं। नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास इतनी कम मात्रा में प्राप्त प्रथम अपीलों तथा आयोग के पास दायर कम शिकायतों/द्वितीय अपीलों से जाहिर है कि राज्य में विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों के प्रत्युत्तर से आवेदक आमतौर पर संतुष्ट रहे। आयोग के पास प्राप्त हुई अपीलों तथा शिकायतों का निर्णय करते हुए यह पाया गया कि अधिकतर शिकायतें तथा अपीलें जन सूचना अधिकारियों के विलम्ब से उत्तर प्राप्ति से सम्बन्धित थी। अधिकांश मामलों में विलम्ब का कारण जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की जानकारी न होना पाया गया। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यक्षेत्र के बारे में आवेदकों को जानकारी न होना भी पाया गया। बड़ी संख्या में आवेदकों/अपीलकर्ताओं द्वारा राज्य सूचना आयोग से अपनी शिकायतों में सुधार की अपेक्षा भी की गई।

5. प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पांचवीं रिपोर्ट की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही द्वारा यह महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला द्वारा जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं संचालित किए गए तथा 2684 अधिकारियों को आयोग की सरकृति पर प्रशिक्षण दिया गया।। राज्य में जन सूचना अधिकारियों और सहायक जनसूचना अधिकारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या को कम ही कहा जा सकता है। प्रशासनिक सुधार विभाग को चाहिए कि अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के उपबन्धों को कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाएं।

6. कई शिकायतों तथा अपीलों में यह पाया गया कि आवेदकों द्वारा मांगी गई सूचना केवल ए-4 आकार के एक या दो पृष्ठों की थी। इन मामलों में जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदकों से मु0 ₹ 2/- या ₹4/- जमा करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के अनुसार निवेदन किया जाता है। इस प्रकार के मामलों में जन सूचना अधिकारी को प्रारम्भिक चरण पर बिना अतिरिक्त फीस मांगे आवेदक को सूचना प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस

प्रकार जन सूचना अधिकारियों को आई0पी0 ओ0 को प्राप्त करने, जमा करवाने, आवेदकों की मांगी गई सूचना की छायाप्रति भेजने बारे पत्र लिखने के कार्य में कमी आएगी । अतः पहले की गई सस्तुति को दोहराया जाता है ।

7. यह भी महसूस किया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने कई बार सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(बी)के उपबन्धों के कार्यान्वयन करने के लिए निर्देश दिये हैं तथा सचिवों की कमेटी में भी इस बारे चर्चा की गई है । तथापि यह भी महसूस किया है कि ज्यादातर सार्वजनिक प्राधिकरणों ने सत्रह बिन्दुओं पर प्रकटीकरण नहीं दिया है । यह सार्वजनिक प्राधिकरणों की वैवसाइट देखने पर सत्यापित किया जा सकता है । अतः प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(बी) के कार्यान्वयन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए तथा सभी राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों को इसे कार्यान्वित करना चाहिए ।

8. प्रशासनिक सुधार विभाग से चतुर्थ-रिपोर्ट तथा पांचवी रिपोर्ट द्वारा विभिन्न कार्यालयों में अवधिक निरीक्षण करने के लिए आग्रह किया गया था जिससे यह निश्चित किया जा सके कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों का कार्यान्वयन प्रभावशाली तरीके से किया जा रहा है तथा संस्तुतियों का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग द्वारा कई विभागों को प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं । तथापि सूचना का अधिकार पंजीयों का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है जिससे आवेदनों तथा प्रथम अपीलों को समय पर निपटाया जा सके । इस प्रकार के कदम शिकायतों तथा द्वितीय अपीलों को आयोग में कम संख्या में दायर होने के लिए सहायक होंगे । परिणामस्वरूप प्रशासनिक सुधार विभाग से एक बार फिर आग्रह है कि विभिन्न विभागों में जो कार्य जन सूचना अधिकारियों को दिये गए हैं और प्रथम अपीलों के निपटाने के लिए अवधिक निरीक्षण की योजना को अन्तिम रूप दें तथा विभागों में उसे भिजवाए । इस प्रकार की योजना को कार्यालय मैनुअल जिसे प्रशासनिक सुधार विभाग संशोधन करने जा रहा है में भी समाविष्ट करना चाहिए । अतः पहले की गई सस्तुति को दोहराया जाता है ।

9. पांचवी रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई थी कि माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 के उपबन्धों पर एक अध्याय बना कर उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए । यह कदम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों और उपबन्धों की जानकारी प्रदान करने का स्थाई माध्यम निमित हो सकता है । अतः इस सस्तुति को दोहराया जाता है ।

10. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (आई) के अनुसार नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किये गए कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार है लेकिन हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम 2006 में निरीक्षण हेतू तथा वीडियोग्राफी

करने हेतु फीस लेने का तथा प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि हिं0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 में उचित प्रावधान को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि सूचना लेने वाला राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण कर सके।

11. प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरणों को नोडल अधिकारी निदेशालय स्तर पर न्युक्त करने के निर्देश दिये गए हैं। जोकि सरकार/ आयोग तथा जन सूचना अधिकारीयों के बीच सम्पर्क का कार्य कर सकें तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट भेज सकें। अधिकतर सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किये गए हैं जिस कारण वांछित रिपोर्ट समय पर आयोग को नहीं भेजी गई थी जिस कारण आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अनुसार छठी रिपोर्ट बनाने में तथा प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः कड़े तौर पर यह संस्तुति की जाती है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को यह निर्देश दिये जाए कि आयोग को भविष्य में समय पर रिपोर्ट भेजी जाए।
